संख्या- 34/2016/ 1130/38-4-16-05(बजट)/2012

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर,2016**

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया लोहिया ग्रामीण आवास योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05 (बजट)/ 2012, दिनांक-20 फरवरी, 2013 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देशिका एवं शासनादेश संख्या-30/2015/1138/38-4-14-05(बजट)/2015, दिनांक-14 सितम्बर, 2015 के क्रम में शासनादेश संख्या-22/2016/835/38-4-15-05 (बजट)/2012,दिनांक-20जुलाई,2016 तथा शासनादेश संख्या-25/2016/835/38-4-16-05(बजट)/ 2012, दिनांक-29 जुलाई,2016 द्वारा निर्गत संशोधित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में पत्र संख्या-910/वि0क/2016 दिनांक 26-08-2016 एवं पत्र संख्या-912/वि0क/2016 दिनांक 30-08-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्तावों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-22/2016/835/38-4-15-05(बजट)/2012,दिनांक-20जुलाई,2016 तथा शासनादेश संख्या-25/2016/ 835 /38-4-16-05(बजट)/ 2012, दिनांक-29 जुलाई,2016 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु योजना के मार्ग-निर्देशिका दिनांक 20 फरवरी, 2013 एवं 14 सितम्बर,2015 के क्रम में निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते है:-

(1) अनिवार्य रूप से लोहिया समग्र ग्रामों में आवंटित किये जाने वाले लोहिया आवास

(क)- प्रत्येक लोहिया ग्राम में इस अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया ग्रामीण आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(ख)- लोहिया समग्र ग्रामों में सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गयी पात्रता सूची के क्रमानुसार(सर्वाधिक पात्र को सबसे पहले एवं उसके पश्चात घटते क्रम में) लोहिया आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(ग)- यदि इन ग्रामों में अन्य पात्र लाभार्थी जो किसी कारणवश पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हो सके हैं और उन्हें ग्राम सभा की खुली बैठक में आवासीय सुविधा हेतु पात्र पाया गया हो, उन लाभार्थी परिवारों का सत्यापन auto inclusion के 05 मानकों (indicators) तथा auto exclusion के निम्नलिखित 13 मानकों (indicators) के आधार पर किया जायेगा:-

Auto inclusion के 05 मानक (indicators):-

1. households without shelter
2. Destitute/living on alms
3. Manual scavengers
4. Primitive Tribal Groups
5. Legally released bonded labourer

Auto exclusion के 13 मानक (indicators):-

1. Motorised two/three/four wheeler / fishing boat
2. Mechanised three/ four wheeler agricultural equipment
3. Kisan Credit Card with credit limit of Rs.50,000 or above
4. Household with any member as a Government employee
5. Households with non-agricultural enterprises registered with the Government
6. Any member of the family earning more than Rs.10,000 permonth

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. Paying income tax
8. Paying professional tax
9. Own a refrigerator
10. Own landline phone
11. Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation equipment
12. 5 acres or more of irrigated land for two or more crop seasons
13. Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment

(घ)- इन परिवारों में से जो परिवार/लाभार्थी आवास हेतु पात्र पाये जायेंगे, उन्हें deprivation indicators के आधार पर अंक प्रदान करते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी। (सर्वाधिक पात्र को सबसे पहले एवं उसके पश्चात घटते क्रम में) अंक प्रदान करने के मापदण्ड निम्नवत होंगे:-

Deprivation 7 parameters (One mark for each parameters)

1. Only one room with kucha walls and kucha roof
2. No adult member between age 16 to 59
3. Female headed households with no adult male member between age 16 to 59
4. Disabled member and no able bodied adult member
5. SC/ST households
6. No literate adult above 25 years
7. Landless households deriving major part of their income from manual casual labour

(च)- तत्पश्चात अर्थात् सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्ध पात्र परिवारों के deprivation के अधार पर प्राप्त अंकों तथा अन्य पात्र लाभार्थी जो किसी कारणवश छूट गये हैं, तो उन्हें deprivation के आधार पर प्राप्त अंकों की एक समेकित सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में जिस परिवार को सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे, उस परिवार को सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(छ)- यदि दो या दो से अधिक परिवारों के अंक समान पाये जाते हैं, तो उन्हें योजना की मार्गनिर्देशिका विषयक शासनादेश दिनांक 20.02.2013 में उल्लिखित पात्रता क्रम में क्रमबद्ध किया जायेगा। पात्रता क्रम निम्नवत हैः-

<u>योजनान्तर्गत लक्षित वर्ग को लाभान्वित करने की पात्रता -</u>

योजनान्तर्गत मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष आवासविहीनों को आवास आवंटन हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित हैं:-

(क) **<u>अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के लाभार्थियों हेतु पात्रता क्रम-</u>**

1. सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/परिवार।
2. अनु0जाति/अनु0जनजाति के ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया विधवाएं अथवा एकल अविवाहित महिलायें हों।
3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग, अनु0जाति/अनु0जनजाति के व्यक्ति।
4. भूकम्प, बाढ़ अथवा नदी से कटान, चक्रवात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न अपादाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमि अर्जन के फलस्वरूप आवासविहीन हुए अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के परिवार।
5. अनु0जाति/अनु0जनजाति के अन्य परिवार।

क्रमांक-1 के संबंध में आवासविहीन होने पर आय संबंधी सीमा लागू नहीं होगी।

(ख) **सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के लाभार्थियों हेतु पात्रता क्रम निम्न प्रकार होगा-**

1. सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवाएं/परिवार।
2. सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया विधवाएं अथवा एकल अविवाहित महिलाएं हों।
3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग, सामान्य जाति के व्यक्ति।
4. भूकम्प, बाढ़ अथवा नदी से कटान, चक्रवात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न अपादाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमि अर्जन के फलस्वरूप आवासविहीन हुए परिवार।
5. सामान्य श्रेणी के अन्य परिवार।

क्रमांक-1 के संबंध में आवासविहीन होने पर आय संबंधी सीमा लागू नहीं होगी।

(ज)- इसके पश्चात भी दो या दो से अधिक परिवार समान श्रेणी में पाये जाते हैं, तो उनकी वार्षिक आय (अधिकतम रू0 36000/-) के क्रम में (अर्थात सबसे कम आय वाले परिवार को सबसे ऊपर तथा उसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पश्चात बढ़ते क्रम में) क्रमबद्ध किया जायेगा। इसके पश्चात भी यदि दो या दो से अधिक परिवार समान स्थिति में पाये जाते हैं, तो उन लाभार्थियों को उनकी उम्र के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। अर्थात अधिक उम्र वाले को सबसे पहले तथा उससे कम उम्र वालों को क्रमशः उसके बाद में आवास आवंटित होगा।

(झ)-लोहिया समग्र ग्राम जिस ग्राम पंचायत में आच्छादित हो उस ग्राम पंचायत में अन्य आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवासों का आवंटन तभी किया जायेगा जब लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासों का आवंटन कर लिया जाये।

(2) <u>जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गये लोहिया ग्रामीण आवास</u>

जनपद में लोहिया समग्र ग्रामों के लिये आवंटित कुल लोहिया आवासों का 10 प्रतिशत अंश अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी जनपद में 25 समग्र ग्राम हों तो 25 x25=625+62.5=687.5 अर्थात 688 लोहिया ग्रामीण आवासों का लक्ष्य आवंटित किया जायेगा। इन आवासों का आवंटन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

(क) <u>मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यगण की संस्तुति पर दिये जाने वाले आवास-</u>

जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गये लोहिया ग्रामीण आवासों के लक्ष्य में से जनपद के सभी मा0 सदस्य विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यगण 10-10 आवास अपनी संस्तुति पर दे सकते हैं। मा0 सदस्य विधान सभा के सदस्यगण अपने निर्वाचन क्षेत्र के ही 10 पात्र परिवारों की सूची अपनी संस्तुति के साथ संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। यदि किसी मा0 सदस्य विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जनपद में आता हो, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी को संस्तुति सहित सूची उपलब्ध करायेंगे।

मा0 सदस्य विधान परिषद अपनी 10 पात्र परिवारों की सूची अपने निर्वाचन क्षेत्र वाले मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जनपद में मा0 विधायकों की संख्या के सापेक्ष्य प्रति सदस्य 10 आवास के हिसाब से आंकलित संख्या यदि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गये आवासों की संख्या से अधिक होती है तो उक्त सीमा तक उस जिले के लक्ष्य में वृद्धि की जायेगी।

जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने वाले 10 प्रतिशत आवासों के सापेक्ष मा0 सदस्यगण विधान सभा/विधान परिषद की संस्तुति पर आवंटित होने वाले आवासों के लिए मा0 सदस्यगणों द्वारा लोहिया समग्र गांवों अथवा सामान्य गांवों के लिए जो सूचियां प्राप्त होंगी, उन सूचियों में से जो लाभार्थी आवासीय योजना हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें आवास दिया जा सकता है। यदि उक्त सूची के लाभार्थियों के नाम उन परिवारों की पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, तो उन परिवारों का सत्यापन जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। सत्यापित परिवारों में से जो परिवार/लाभार्थी पात्र पाये जाते हैं, उन्हें लोहिया ग्रामीण आवास आवंटित किया जा सकता है।

(ख)- <u>जिलाधिकारी के निवर्तन पर अवशेष आवास-</u>

जिलाधिकारी के निवर्तन पर उपलब्ध आवासों में से मा0 सदस्य विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यगण की संस्तुति पर आवंटित आवासों के पश्चात् अवशेष आवासों का आवंटन भी उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा।

(3)- उपरोक्तानुसार तैयार की गयी लाभार्थियों की सूची की वास्तविक आवासीय स्थिति का सत्यापन जनपद स्तरीय समिति द्वारा auto inclusion के 05 मानकों (indicators) तथा auto exclusion के 13 मानकों (indicators) के आधार पर किया जायेगा। यदि auto inclusion के 05 मानकों (indicators) के अन्तर्गत वह परिवार आच्छादित है, तो लोहिया ग्रामीण आवास हेतु वह परिवार पात्रता सूची में सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वह परिवार auto exclusion के उल्लिखित 13 मानकों (indicators) से आच्छादित न हों। यदि परिवार इन 13 मानकों से आच्छादित नहीं होता, तो जनपद स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत आवासविहीन या कच्चा आवास होने की स्थिति में उसे लोहिया आवास का आवंटन किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)-लाभार्थी परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय गाइडलाइन में दिये गये निर्देशानुसा रू0 36000/- से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(5)-जनपद के वर्गवार लक्ष्यों के सापेक्ष समग्र ग्रामों में भी वर्गवार लक्ष्यों का निर्धारण जनपद स्तर से किया जायेगा। यदि किसी ग्राम में किसी वर्ग के लाभार्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो उक्त वर्ग के लक्ष्य अन्य ग्रामों में अंतरित किये जा सकते हैं। इसका निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

(6)-लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7)-प्रत्येक जिले में सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया आवासों के लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा किया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2016/ 1130 (1)/38-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
8- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10-समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12-समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
13-समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
15-नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in